5. [illegible]
([illegible]) ।

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित : 1–श्री विनोद कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता वादी

वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 07.12.16

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा गुंपड़ा पटवार मण्डल गुंपड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के खाता संख्या नई 74 परानी 140 में अंकित आराजी नम्बर 49/3 शा.नं. 93/4, 417/8, 455/17 किता–1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है । जिसकी ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 पेश की गई है । निवेदन है कि उक्त आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक का

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । उपरोक्तानुसार वादी एवम प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है । उक्त आराजियात प्रतिवादी पुरूषोतम पिता लालुजी बैरवा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया व पुरूषोतम पिता लालुजी बैरवा ने उक्त आराजियात श्रीमती पारस पत्नी दिनेश कुमार मेघवाल निवासी मेड़ता से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया । पुरूषोतम ने अपना 1/4 हिस्सा वादी को विक्रय किया ।

2. निवेदन है कि उक्त आराजियात का हम पक्षकारान के मध्य विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है जिससे वादी एवम प्रतिवादीगणों में आये दिन सीमा विवाद होता रहता है । अतः वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा एवम प्रतिवादी संख्या–5 का 1/4 हिस्सा है । इसके अनुसार हिस्से/कब्जे के आधार पर बॅटवारा कराया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादीगण उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द कर सकते है जिससे वादी को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यॉकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा ।

3. वाद कारण दिनांक 11.04.16 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादीगणों को हिस्से/कब्जे अनुसार बॅटवारा कराने को कहा तो उन्होनें कहा कि कानूनी कार्यवाही कराओं तब से ही वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

4. अतः निवेदन है कि बहक वादी तथा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री जारी करवायी जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में मुझ वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज है व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्से अनुसार बॅटवारा कराया जावे एवम प्रतिवादीगणों को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भौतिक रूप से बॅटवारा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादीगण उक्त आराजियात का विक्रय नहीं करें, निर्माण आदि नहीं करें एवम मौके, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

5. वादी द्वारा वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 प्रदर्श–1, तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 नियत पेशी दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुऐ जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

7. प्रकरण में स्वयं वादी द्वारा साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 शपथ पत्र पेश किया गया है जो कि वाद की ताईद में पेश किया गया है ।

8. इसने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को सुना । वाद वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71 प्रदर्श–1 का अवलोकन किया। इन इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा गुंपड़ा पटवार मण्डल गुंपड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के खाता संख्या नई 74 परानी 140 में अंकित आराजी नम्बर 49/3 शा.नं. 93/4, 417/8, 455/17 किता–1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि पक्षकारान के सामलाती खाते की है । जिसका विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है । वादी स्वयं खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी आराजियात का बॅटवारा हिस्से अनुसार कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । वादग्रस्त आराजियात सामलाती होकर पक्षकारान् खातेदार काश्तकार की है इसलिऐ सामलाती खाते की कुलिया आराजियात का विभाजन करना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

9. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि मौजा गुंपड़ा पटवार मण्डल गुंपड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 49/3 शा.नं. 93/4, 417/8, 455/17 किता–1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि का बॅटवारा पक्षकारान में अर्थात वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा है इसके अनुसार विभाजन किया जावे । विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार वल्लभनगर को 500/– रूपये शुल्क पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि बॅटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र तलब किया जावे तथा यथासंभव उनकी उपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया जावे । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जावे । विभाजन प्रस्ताव, लगान सूची, नक्शा ट्रेस 2–2 प्रतियों में पेश किये जावे । फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें ।

10. प्रारम्भिक पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

11. निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया ।